झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–26/2023 /रॉची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, रॉची।

विषयः– **State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 97,65,82,500/– (रू0 संतानबे करोड़ पैंसठ लाख बिरासी हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

झारखण्ड सरकार राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कृत संकल्पित है। यह राज्य खनिज संसाधनों से भरपूर एवं धनी है परन्तु यहाँ के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें तकनीकी क्षेत्र में पूर्णरूपेण सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस बात का ध्यान में रखते हुए दिनांक 13.04.2022 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में विभागान्तर्गत संचालित 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को State of the Art संस्थान के रूप में विकसित किया जाना है।

इसके निमित माननीय मुख्यमंत्री का सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 375 दिनांक 03.04.2023 द्वारा प्रत्येक राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को 1000 विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखकर AICTE मानक अनुसार आधारभूत सरंचना के विकास हेतु निर्णय संसूचित किया गया है। इसके तहत संस्थान के निम्न अवयवों – Administrative Block, Academic Block, Hostel Block, Residential Block, Library Block, Auditorium, Student Resource Centre, Sport Facilities, Green Areas, Rain Water Harvesting आदि को सम्मिलित किया जाना है। एतदर्थ विभागान्तर्गत संचालित 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में से राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में छात्राओं को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने तथा संस्थान को State of the Art बनाने के निमित पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कार्य तथा परिसर में नया भवन निर्माण किया जाना है ताकि संस्थान का राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति (NBA) के द्वारा Accreditation प्राप्त करने में आसानी हो एवं तकनीकी शिक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो।

2. विभागीय पत्रांक 1068 दिनांक 11.11.2022 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 375 दिनांक 03.04.2023 के आलोक में कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 2308(नि0) दिनांक 13.09.2024 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, राँची को State of the Art बनाने के निमित संस्थान परिसर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित रू0 97,65,82,500/– (रू0 संतानबे करोड़ पैंसठ लाख बिरासी हजार पांच सौ) मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन Estimate No.- 642/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25 दिनांक 12.09.2024 के साथ विभाग को अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विभागीय संलेख ज्ञापांक 685 दिनांक 29.07.2025 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.09.2025 में मद सं0 01 के रूप में सम्मिलित करते हुए कुल रू0 97,65,82,500/– (रू0 संतानबे करोड़ पैंसठ लाख बिरासी हजार पांच सौ) मात्र की प्राक्कलित राशि की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्राक्कलित राशि रू0 97,65,82,500/– (रू0 संतानबे करोड़ पैंसठ लाख बिरासी हजार पांच सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

	Description	कुल राशि
A	Academic Block	17,87,78,212.00
B	Student Resource Center	8,52,78,402.00
C	Girls Hostel (G+6)	10,78,45,434.00

कृ0प0उ0

D	Principal Quarter	61,86,924.00
E	Lecture Quarter	3,08,68,249.00
F	Staff Quarter	2,81,55,178.00
G	BOYS Hostel (G+7)	12,33,00,519.00
H	Auditorium	6,04,65,536.00
I	HVAC for Auditorium	89,44,870.00
J	Workshop	1,50,08,491.00
K	Parking Shed	4,89,850.00
L	Play Ground	61,36,551.00
M	Sitting Galary Around Playground	31,81,783.00
N	Lawn/Landscaping	17,23,137.00
O	Gate & Guard Room	16,88,725.00
P	Road	73,54,141.00
Q	Over Head Water Tank	65,38,326.00
R	Recharge PIT 5 Nos	11,03,178.00
S	External Electrical	3,34,38,235.00
T	ETP (300 KLD)	71,58,750.00
U	Renovation Work	6,79,92,059.00
V	Demolish	31,77,845.00
	Total without GST (A)	78,48,14,395.00
	Add 18% GST on (A)	14,12,66,591.00
	Total Amount with GST (B)	92,60,80,986.00
	Labour Cess 1% of 'B'	92,60,810.00
	Add JSBCCL Charge of 'A'	4,12,40,720.00
	Grand Total	97,65,82,516.00
	Say Rs.	97,65,82,500.00
	(रू0 संतानवे करोड़ पैंसठ लाख बिरासी हजार पांच सौ) मात्र	

3. विषयांकित कार्य के लिए राशि का उपबंध एवं निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105/796–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

4. विषयांकित कार्य की पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह में होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात 01 माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्भावित वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है –

क्र0	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2025–26	40,00,00,000/-	40%
2	2026–27	40,00,00,000/-	50%
3	2027–28	17,65,82,500/-	10%

5. परियोजना के अनुश्रवण हेतु राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में कार्यरत प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता की दो सदस्यीय एक समिति (असैनिक एवं विद्युत अभियंत्रण संकाय से संबंधित) का गठन किया जायेगा जो समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता की जाँच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेगी। साथ ही संस्थान प्रमुख द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संबंधित प्रतिवेदन निदेशक, तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराई जायेगी। निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी।

6. विषयांकित कार्य को निर्धारित अवधि में PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

कृ0प0उ0

8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
16. प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
17. प्रस्ताव को योजना एवं विकास विभाग का ज्ञापांक–रा0यो0प्रा0–327/2024 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 07.10.2024 को सम्पन्न बैठक में अनुशंसित है।
18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–26/2023 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–26/2023 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–26/2023–20/योजना /राँची, दिनांक– 14.10.2025
प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची/बजट पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोड़ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/X/25

सरकार के अपर सचिव